न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः 708/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00768)

01. भंवरलाल पुत्र मूलचन्द,
02. रतन लाल पुत्र मूलचन्द समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चाणचुक्या, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

01. धापू देवी पत्नी किशनाराम,
02. मंगल पुत्र किशनाराम,
03. रूपनारायण पुत्र किशाराम,
04. गोदूराम पुत्र किशनाराम,
05. गुल्लीदेवी पुत्री किशनाराम,
06. प्रभाती देवी पुत्री किशनाराम,
07. नानीदेवी पुत्री किशनाराम,
08. रूपा देवी पुत्री किशनाराम,
09. प्रेमदेवी पुत्री किशनाराम,
10. रामप्रसाद पुत्र रघुनाथ,
11. सीताराम पुत्र रघुनाथ,
12. शंकर पुत्र रघुनाथ,
13. कैलाश पुत्र रघुनाथ,
13. बिरदीचन्द पुत्र घासीराम,
15. कमला देवी पुत्री घासीराम,
16. केसर देवी पुत्री घासीराम,
17. गीतादेवी पुत्री घासीराम,
18. कालीदेवी पुत्री घासीराम,
19. भंवर लाल पुत्र सुवालाल,
20. रामफूल पुत्र सुवालाल,
21. गोपाल पुत्र सुवालाल,
22. मेवाराम पुत्र सुवालाल,
23. कालूराम पुत्र सुवालाल,
24. सरजूदेवी पुत्री सुवालाल,
25. तुलसीदेवी पुत्री सुवालाल, समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम गिरधारीपुरा, तहसील व जिला जयपुर।
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मौजाबाद जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. श्री ज्ञानेश्वर बाढदार अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से
2. श्री नवलकिशोर शुक्ला अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 25 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 12.10.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मौजामाबाद जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2020 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 433 लगायत 451 व खसरा नम्बर 431/1/3 जिनके नये खसरा नम्बर 220, 221, 236, 319, 225, 226, 235, 237, 238, 322, 321, 320, 239, 319, 318, 240, 241, 242, 209, 210, 212, 213, 216, 249, 214, 243, 246, 248, 250, 257, 247, 208, 207 और विभाजन से वर्तमान में आराजी खसरा नम्बर 214, 213, 246, 248, 249, 250, 257 रकाब 2.48 हैक्टयर अपीलान्ट के हक में आये। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने तथाकथित बैचाननामा दिनांक 07.06.1991 जो घासी पुत्र गेणश, किशना पुत्र रामचन्द्र, सुवा पुत्र बोदू जाति जाट के नाम मूलचन्द के द्वारा किया बताया है और अपने आपको घासी किशना सुवा के वारिसान होने के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने के लिये तहसीलदार मैजमाबाद के यहाॅ आवेदन प्रस्तुत किया था जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त बैचान के आधार पर घासी पुत्र गेणश, किशना पुत्र रामचन्द्र व सुवा पुत्र बोदू के नाम न तो कभी नामान्तरकरण खुला है और उक्त बैचान का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में क्रेताओं ने विक्रेता मूलचन्द के जीवनकाल में नही कराया है इस कारण से भी उनको विरासत का नामान्तरकरण खुलवाने का अधिकार नही था परन्तु तहसीलदार ने इस कानूनी पहलू को नजरअन्दाज कर जो निर्णय दिया है और किसी दीगर व्यक्ति के द्वारा जो दावा दायर सूरजकरण बनाम धापूदेवी के निर्णय को आधार मानकार जो नामान्तरकरण विपक्षीगण के नाम खोलने का निर्णय दिया है वह सरासर गलत है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि बंटवारे में जो भूमि अपीलान्ट के खाते मे आई उसका कोई विक्रय नही हुआ है लेकिन तहसीरलदार ने बिना किसी आधार के अपीलान्ट के बंटवारे में आई भूमि का जो नामान्तरकरण खोलने के आदेश पारित किया है, वह विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि क्रेता घासी पुत्र गणेश, किशना पुत्र रामचन्द्र, सुवा पुत्र बोदू ने विक्रय पत्र 07.06.1991 के आधार पर एक वाद घोषणा तकासमा व निषेधाज्ञा का सहायक कलक्टर दूदू के वहाॅ दिनांक 07.06.1993 को प्रस्तुत किया था जो उनवानी घासी वगैरह बनाम मूलचन्द के नाम से था और वह वाद दिनांक 18.11.1997 को खारिज हो चुका है और उक्त वाद के पश्चात भी क्रेता घासी, किशना व सुवा जाति जाट ने कोई कार्यवाही न तो वाद के विरूद्ध की व न कब्जे के लिये की और इस कारण से भी इन्हे कोई अधिकार नही होते है क्योंकि उनके अधिकार तो दावा दायर करने व खारिज होने से समाप्त हो चुके थे लेकिन तहसीलदार ने इस कानूनी पहलू को नजर अन्दाज किया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विपक्षीगण ने दुर्भावना से और उनका वाद खारिज होने के बाद सूरजकरण से साज कर एक दवा विशिष्ट अनुपालना का अपर जिला न्यायाधीश दूदू जयपुर के यहाॅ करवाया है और वह वाद सूरजकरण का भी खारिज हुआ और उसमें विक्रय पत्र दिनांक 07.06.1991 के बारे मे कोई निर्णय भी दिया है तो उससे रेस्पोडेन्ट को कोई अधिकार नही मिलते क्योंकि उनके अधिकार तो घोषणा के दावे के निर्णय से

P.T.O.

ही खारिज हो गये थे तो सूरजकरण के वाद में जो उसका वाद मियाद बाहर मानकर खारिज हुआ है उस मियाद बाहर दावें मे यदि कोई विवेचन तनकी का किया भी है तो उससे रेस्पोडेन्ट को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है क्योंकि रेस्पोडेन्ट का कोई दावा नही था। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मौजमाबाद जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2020 विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मौजमाबाद जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2020 को अपास्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 25 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट के पूर्वज द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार द्वारा बेचान करने पर क्रय किया गया है जिससे वादग्रस्त आराजी में निहित बेचानकर्ता के समस्त अधिकार क्रेता को हस्तान्तरण हो चुके है जिससे रेस्पोडेन्ट के वादग्रस्त आराजी पर समस्त प्रकार के हक हकूक अधिकार निहित हो चुके है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त विक्रय पत्र को आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण खुलवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त एवं प्रकरण का कानूनी रूप से परीक्षण करने के पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2020 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन व बलहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार मूलचन्द पुत्र नानगा द्वारा दिनांक 07.06.1991 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से वादग्रस्त आराजी का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 25 के पूर्वज घासीराम पुत्र गेणश, किशना पुत्र रामचन्द्र व सुवा पुत्र बोदू को किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत या कोई दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त विक्रय पत्र किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य प्रभावी घोषित किया गया प्रतीत होता हो जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उक्त विक्रय पत्र आज भी प्रचलन में व प्रभावी है जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित करने के अलावा अन्य कोई विकल्प अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध ही नही था। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मौजमाबाद जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2020 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मौजमाबाद जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2020 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।